कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिक के विरूद्ध विचाराधीन राजस्थान असैनिक सेवायें(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–17 की कार्यवाही समाप्त (DROP) किये जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–शिविरा–माध्य/संस्था/सी–ओए/डीपीसी/**इतिहास**(पुरूष)2014–15 दिनांक–01.06.2018 द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्राध्यापक–स्कूल शिक्षा **इतिहास**(पुरूष) की वर्ष 2014–15 की रिक्ति के प्रति चयन किये जाने सम्बन्धित शील्डकवर रखे गये निर्णय की अनुपापना में इन्हें प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) **इतिहास** की रिक्तियों के प्रति चयन किए जाने के फलस्वरूप इन्हें प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) **इतिहास** के पद पर राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2016 के लेवल नम्बर–12 में पदोन्नति प्रदान कर इनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, संबंधित नियन्त्रण अधिकारी /प्रधानाचार्य इसकी सुनिश्चितता करेंगे। संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक रहेगा। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नही कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई–मेल commsecedu@yahoo.com से तुरंत सूचित करेंगे।

पदोन्नत कार्मिक यदि अपनी पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है, तो लिखित में प्रार्थना पत्र दिनांक–06.11.2019 तक संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेगा और संस्था प्रधान का उत्तर दायित्व होगा कि वो पदोन्नत कार्मिक को दिनांकः 06.11.2019 (परित्याग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में भी) को आवश्यक रूप में नवीन पदोन्नत स्थान हेतु कार्यमुक्त करेगें। पदोन्नत कार्मिक को दिनांक 07.11.2019 तक पदोन्नति पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। संस्था प्रधान संबंधित कार्मिक की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण का इन्द्राज शाला दर्पण पर अपडेट करावें।

क्रम	वरिष्ठता क्रमांक	नाम कार्मिक	जन्मतिथि	पद, पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापन (राउमावि/राबाउमावि)
1	1219/99–2000	अजय कुमार शर्मा	29.04.69	वरिष्ठ अध्यापक राउमावि सूरवाल–स.माधोपुर	मीना बरोड़ा– गंगापुर सिटी –(08100301001)सवाई माधोपुर

इनको कार्यमुक्त करने से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान यह पुष्टि अवश्य कर लेवें की जिस वरिष्ठता अवधि के आधार पर कार्मिक को पदोन्नत किया जा रहा है, उस अवधि के पश्चात उस कार्मिक की अर्न्तमण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित नही हुई हो। यदि अर्न्तमण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति आने पर ऐसे कार्मिक को इस कार्यालय को वस्तुस्थिति बतलाते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त होने पर ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–2/**इतिहास**/डीपीसी–पदस्थापन/2014–15 दिनांक–24/10/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत्

1. शासन सचिव–शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)/कार्मिक(क–5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर
5. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति आदेश विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण कराने के लिये अधिकृत होगें।
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु
7. संबंधित अधिकारी/कार्यालय/संस्थाप्रधान/कार्मिक
8. सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनिय प्रतिवेदन/विभागीय जांच कार्यालय हाजा
9. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर